

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

फूलबाई वगैरह बनाम श्रीचन्द्र वगैरह

किस्म मुकदमा - वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु.न. 75/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.06.2025	<p>यह वादपत्र वादीगण की ओर से अभिभाषक श्री लक्ष्मीनारायण मीना द्वारा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जरिये Registered AD वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 08.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p> <p>8/7/25 पत्रावली पेश हुई वहील प्राथीकी उपस्थित / कहील प्राथी ने अकार कशया की प्राथी पूरा पत्रावली के अर्थ चलासा नहीं करते हैं। कहीलवादी / प्राथी ने इस बाबत पत्रावली पर Not Press किया / प्राथी कहील द्वारा किया Not Press के खीठार किया जाकर पत्रावली के अर्थवाही शरी एवर पर समार को जारी है। पत्रावली केवल शुमार केवर अधिल इप्तर ले।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	<p>नोटिस प्रेस 8/7/25</p> <p>Note press 8/7/25</p>